61

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 2705-दो/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 29-8-2011 - पारित व्दारा - तहसीलदार रघुराजनगर जिला सतना - प्रकरण क्रमांक 129 अ-12/2010-11

केशरी सिंह पुत्र चक्रधर सिंह
ग्राम पासी तहसील रघुराजनगर
जिला सतना मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1- शिवबहादुर सिंह पुत्र केदार सिंह
निवासी पुरैनी तहसील रघुवरानगर जिला सतना
2- म0प्र0शासन व्दारा हलका पटवारी
ग्राम बारी तहसील रघुराजनगर जिला सतना ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री रामलोचन वर्मा)
(अनावेदक क्र-1 के सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 07 - 03 -2018 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार रघुराजनगर जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 129 अ-12/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 29-8-2011 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है अनावेदक क्रमांक 1 ने उसके स्वामित्व की मौजा पुरैनी स्थित भूमि सर्वे नंबर 50 रकबा 0.19 डि. के सीमांकन की मांग की। तहसीलदार रघुराजनगर ने प्रकरण क्रमांक 129 अ-12/2010-11 पॅजीबद्व किया तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना को सीमांकन के निर्देश जारी किये। राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना ने पड़ौसी कास्तकारों को सूचना जारी कराई

तथा मौजा पुरेनी के हलका पटवारी के साथ दिनांक 14-6-2011 को मौके पर जाकर सीमांकन कार्य किया, तदुपरांत सीमांकन प्रतिवेदन तहसीलदार सतना को अग्रेषित किया। तहसीलदार, तहसील सतना के समक्ष आवेदक ने आपत्ति प्रस्तुत की , जिसकी प्रति अनावेदक को दिलाई गई एंव उत्तर प्राप्त किया गया, किन्तु पेशी 16-8-11 को आवेदक अनुपस्थित रहा एंव आगामी पेशी 26-8-11 को आवेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गई, तदुपरांत आदेश दिनांक 29-8-11 पारित करके सीमांकन को अंतिमता प्रदान की। तहसीलदार के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि माह जून में सीमांकन कार्यवाही प्रतिबंधित होती है इसके वाद भी राजस्व निरीक्षक ने जानबूझकर गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है क्योंकि मौके पर सीमांकन किया ही नहीं गया है अपितु फर्जी पंचनामा एंव सूचना पत्र तैयार किये गये है। इस सीमांकन से आवेदक की आराजी कमांक 51/1 कर अंश रकबा एंव एक आम का पेड़ जानबूझकर प्रभावित किया गया है सीमांकन गलत है। आवेदक ने आराजी कमांक 51/1 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदी है अनावेदक ने सारी कार्यवाही राजस्व निरीक्षक एंव पटवारी से मिलकर आम का पेड़ हड़पने के लिये की है इसलिये सीमांकन निरस्त किया जावे।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से परिलक्षित है कि माह जून ग्रीष्म ऋतु का समय है जिसके कारण खेतों में फसलें न होने के कारण सीमांकन के लिये यह ऋतु बन्धित नहीं है । आवेदक के अभिभाषक का ऋतु प्रतिबंध होने का तर्क माने जाने योग्य नहीं है। जहां तक किये गये सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित होने का प्रश्न है ? यदि आवेदक स्वयं की भूमि को अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से प्रभावित होना मानता हैं, तब वह आर.आई.से

वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षक भू अभिलेख अथवा सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन एंव सीमांकन आदेश दिनॉक 13-7-17 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार रघुराजनगर जिला सतना व्दारा प्रकरण कमांक 129अ-12/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 29-8-2011 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर